(9)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–42 / 2016–17

अवधेश सिंह बनाम नूतन सिंह वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
16/7/18	**आदेश** आवेदक के द्वारा यह वाद फुलवारीशरीफ अंचल अंतर्गत मौजा–आलमपुर गोनपुरा, थाना नं0 1, खाता नं0 238 के विभिन्न खेसरों की विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने तथा अपनी जमाबंदी सं0 64 को पुर्वत कायम रखने हेतु दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है **प्रथम पक्ष** अवधेश सिंह, वल्द–स्व0 दुखन सिंह, पता–छुपारचक पो0–आलमपुर गोनपुरा, थाना–फुलवारीशरीफ; जिला–पटना **द्वितीय पक्ष** 1. नूतन सिंह, वल्द–स्व0 राजेन्द्र सिंह 2. मो0 जयवन्ती देवी, जौजे–स्व0 राजेन्द्र सिंह, स्थायी पता–राजगढ नवादा, थाना–पुनपुन, जिला–पटना, वर्तमान पता–छुपारचक, पो0–जगालपुर गोनपुरा, थाना–फुलवारीशरीफ, जिला–पटना इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षीगण को नोटिस दी गयी। विपक्षी सं0 1 नूतन कुमार सिंह के द्वारा दिनांक 21.12.2016 को वकालतनामा दायर करते हुए सूचना दी गयी कि विपक्षी सं0 2 जयमन्ती देवी की दिनांक 05.10.2016 को मृत्यु हो चुकी है। आवेदक को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया, परन्तु आवेदक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गयी। आवेदक के द्वारा इस वाद में दिनांक 27.03.2018 से पैरवी करना छोड़ दिया गया। आवेदक दिनांक 27.03.18, 11.04.18 एवं 23.05.18 को लगातार तीन तिथियों को उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 23.052018 को यह आदेश पारित किया गया कि यदि आवेदक अगली तिथि 10.07.18 को उपस्थित नहीं होते है तो एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किया जायेगा। **आवेदक के आवेदन के अनुसार** (1) प्रश्नगत भूखण्ड मूलतः स्व0 झूठी महतो की थी। झुठी महतो को तीन पुत्र शिवशंकर सिंह, राम विलास सिंह एवं रामशरण सिंह हुए।	

शिवशंकर सिंह एवं राम विलास सिंह नावल्द मर गये अतः उत्तराधिकारी के नियम के अंतर्गत रामशरण सिंह समस्त सम्पति पर दाखिल काबिज हुए।

(2) रामशरण सिंह को छः पुत्रियाँ थी। सभी पुत्रियों का विवाह हुआ तीसरी पुत्री शीतल देवी अपने पुत्र एवं पुत्रियों के साथ रामशरण सिंह के यहां रह कर उनके सेवा सुश्रु करने लगी। शेष पुत्रियाँ अपने–अपने सुसराल में रह रही है।

(3) रामशरण सिंह ने पुत्री शीतल देवी की सेवा से प्रसन्न होकर अन्य भूखण्ड के साथ प्रश्नगत भूखण्ड दिनांक 29.05.1963 को अपनी पुत्री शीतल देवी को बख्शीशनामा कर दिया। शीतल देवी के नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी सं0 64 कायम की गयी।

(4) विपक्षी के पिता राजेन्द्र सिंह के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के साथ अन्य भूखण्ड के लिए सब जज पटना के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 113/93 दायर किया, जिसमें आवेदक की माता शीतल देवी प्रतिवादी थी। उक्त स्वत्व वाद में दिनांक 25.07.2015 को सब जज–IV पटना के द्वारा खारिज कर दिया गया।

(5) विपक्षी के पिता स्व0 राजेन्द्र सिंह के द्वारा कपटपूर्ण ढंग से प्रश्नगत भूखण्ड पर अपनी जमाबंदी कायम करवा ली है। विपक्षी के पिता के नाम से कायम जमाबंदी पूर्णतः अवैध है। स्वत्व वाद भी खारिज हो चुका है। शीतल देवी की मृत्यु के पश्चात प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक का दखल–कब्जा है। आवेदक की माता के नाम से वर्ष 2007 तक लगान रसीद निर्गत हुयी है।

(6) स्व0 राजेन्द्र सिंह के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने तथा अपनी माता के नाम से पूर्व में कायम जमाबंदी सं0 64 को पूर्ववत रखने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी।

(1) दिनांक 29.05.1963 का बख्शीशनामा

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि

(1) आवेदक के द्वारा अपने आवेदक पत्र में दिया गया तथ्य झुठी, मनगंढत एवं बनावटी है। आवेदक के द्वारा शपथ पत्र के द्वारा अपनी वर्णित बातों का समर्थन नहीं किया गया।

(2) झुठी महतो को तीन पुत्र राम विलास महतो, रामशरण महतो एवं शिवशंकर महतो हुए। राम विलास महतो सर्वे के पूर्व निःसंतान मर गये। सर्वे के बाद झूठी महतो अपने दो पुत्र रामशरण महतो एवं शिवशंकर महतो की इजमालन छोड़ कर मरे। राम शरण महतो एवं शिवशंकर महतो ने कुछ सम्पति की खरीद की तथा कुछ सम्पति की बिक्री की। वर्ष 1958 में रामशरण महतो एवं शिवशंकर महतो के बीच बंटवारा हुआ। दोनों भाई अपने अपने हिस्से पर दखल में आये, परन्तु जमाबंदी अलग अलग नहीं हुई।

(3) आवेदक के द्वारा शिवशंकर महतो को निःसंतान बताना गलत है। शिवशंकर महतो एवं उनकी पत्नी मेधिया देवी को एक पुत्री नेम कुंवर हुई, जिनका विवाह जय गोविन्द सिंह से हुआ। शिव शंकर सिंह एवं मोधिया देवी की मृत्यु के उपरान्त शिवशंकर सिंह की सम्पूर्ण सम्पति पर नेम कुँवर दखल में आयी।

(4) नेम कुँवर में अपने हिस्से की कुछ सम्पति दिनांक 30.04.1990 के निबंधित बख्शीशनामा से राजेन्द्र प्रसाद को बख्शीशनामा कर दिया तथा कुछ सम्पति दिनांक 28.12.1992 के निबंधित बख्शीशनामा से जयमन्ती देवी को बख्शीशनामा कर दिया।

(5) बख्शीशनामा के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 2467/1 वर्ष 1992–93 के द्वारा राजेन्द्र प्रसाद के नाम से जमाबंदी कायम की गयी। दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05/2009–10 के अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के आदेश दिनांक 29.07.2009 के द्वारा जयमन्ती देवी के नाम से जमाबंदी कायम की गयी।

(6) राजेन्द्र सिंह के द्वारा बख्शीशनामा से प्राप्त कुछ भूखण्ड बिक्री भी की गयी, जिस पर खरीददार दाखिल काबिज है।

(7) जब आवेदक एवं उनके भाईयों ने कथित बख्शीशनामा दिनांक 29.05.1963 के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड पर दावा करना शुरू किया, तब पता चला कि दिनांक 29.05.1963 में गलत मंशा से नेम कुँवर की सम्पति का अश भी शामिल कर दिया गया है।

(8) राजेन्द्र प्रसाद, जयमंती देवी एवं नेम कुँवर ने संयुक्त रूप से व्यवहार न्यायालय, पटना में स्वत्व वाद सं0 113/1993 दायर किया गया, जो गलत मंतव्यों के साथ दिनांक 25.07.2015 को खारित कर दिया गया।

(9) स्वत्व वाद सं0 113/1993 में दिनांक 25.07.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षीगण के द्वारा स्वत्व अपील वाद सं0 79/2015 दायर किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–10, पटना के द्वारा दिनांक 13.11.2017 को अपील स्वीकृत करते हुए, स्वत्व वाद सं0 113/93 में दिनांक 25.07.2015 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया।

(10) सक्षम व्यवहार न्यायालय से प्रश्नगत भूखण्ड के स्वत्व का निर्णय हो चुका है। इस परिस्थिति में आवेदक का आवेदन विचार योग्य नहीं है। आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी।

(1) टाईटिल अपील सं0 79/2015 में दिनांक 13.11.2017 को पारित आदेश की प्रति

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि

(1) आवेदक के द्वारा स्वत्व वाद सं0 113/93 में दिनांक 25.07.2015 के आदेश के आलोक से विपक्षीगण की जमाबंदी को रद्द करने हेतु यह वाद लाया गया था।

(2) स्वत्व वाद सं0 113/93 में दिनांक 25.07.2015 को पारित आदेश स्वत्व अपील वाद सं0 79/2015 में दिनांक 19.11.2017 के आदेश से निरस्त कर दिया गया है।

उपर्युक्त परिस्थिति में आवेदक का आवेदन विचार योग्य नहीं पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

16/7/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

16/7/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना